

21.12.2023:-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में पत्र जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तारबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कमिश्नर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़